जिला जनसम्पर्क कार्यालय, खूँटी

दिनांक 14.03.2018

प्रेस विज्ञप्ति 3

निषेधाज्ञा

नगरपालिका (आम/उप) निर्वाचन–2018 के लिए तिथियों के घोषणा के फलस्वरुप आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गई है। चुनाव उद्घोषणा उपरांत सभी राजनैतिक दलों द्वारा रैली, धरना आदि कार्यक्रम की घोषणा की जाती है। उपरोक्त स्थिति में यह सम्भावना रहती है कि ऐसे कार्यक्रमों से प्रत्याशियों के समर्थन में संबंधित राजनैतिक दलों के कार्यकत्ताओं द्वारा अपनी शक्ति को प्रदर्शित किया जा सकता है एवं अवांछनीय तत्वों द्वारा इस अवसरों का लाभ लेकर अपने गतिविधियों से गंभीर विधि–व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न की जा सकती है जिसका प्रतिकूल प्रभाव जन जीवन पर पड़ने की संभावना है।

अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यों से संतुष्ट होकर मैं **प्रणब कुमार पाल,** (झा०प्र०से०) अनुमण्डल दण्डाधिकारी, खूँटी, दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा–144 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पूरे खूँटी नगर पंचायत क्षेत्राधिकार में निम्नांकित निषेधाज्ञा जारी करता हूँ :–

उक्त परिप्रेक्ष्य में यह निषेधाज्ञा नगरपालिका (आम/उप) निर्वाचन–2018 के लिए तिथियों के घोषणा से निर्वाचन प्रक्रिया शांतिपूर्ण समाप्ति तक निम्नलिखित बिन्दुओं पर लागू रहेगा :–

1. किसी प्रकार का हरवे–हथियार जैसे लाठी, डण्डा, भाला, गड़ासा, तीर–धनुष आदि लेकर निकलना या चलना प्रतिबंध रहेगा। (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारी/कर्मचारी/वृद्ध/अपंगों या टहलने के उपयोग में आने वाले तीन फीट का डंडा तथा ड्यूटी में लगे सुरक्षा कर्मियों की लाठी/राईफल ईत्यादि को छोड़कर)
2. बिना अनुमति के किसी प्रकार का बैठक, धरना प्रदर्शन, सभा आयोजित करने, ध्वनी विस्तारक यंत्र का व्यवहार करना वर्जित रहेगा। (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारी, कर्मचारी एवं मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा को छोड़कर)
3. किसी प्रकार का अग्नेशास्त्र, अस्त्र–शस्त्र, विस्फोटक पदार्थ लेकर चलना या निकलना प्रतिबंधित रहेगा। (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारी/कर्मचारी को छोड़कर)
4. किसी भी सरकारी, अर्द्धसरकारी संस्था, शैक्षणिक संस्थान या किसी सार्वजनिक स्थान पर किसी प्रकार का जुलूस, धरना प्रदर्शन, आमसभा या किसी मांग को लेकर आम रास्ता अवरुद्ध करने पर प्रतिबंध रहेगा। (हाट/बाजार या मेला में एकत्रित लोगों, मंदिर, मस्जिद या गिरजाघरों में उपासना करने के लिए आये लोगों और शव यात्रा में शामिल व्यक्तियों को छोड़कर)
5. परे खूँटी नगर पंचायत क्षेत्र में रात्रि 10.00 बजे से प्रातः 6.00 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग करने पर प्रतिबंध रहेगा। आवश्यकतानुसार सभी संबंधित दल निर्देशित शर्त्तों पर इस हेतु अनुज्ञप्ति प्राप्त ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग कर सकेगें।
6. नेपालियों द्वारा खुखड़ी धारण, सिक्खों द्वारा कृपाण धारण, शादी एवं श्मशान घाट पर जानेवाली जुलूस एवं विधि–व्यवस्था/निर्वाचन कार्य में लगे पदाधिकारी/कर्मचारी/आरक्षी पदाधिकारी/आरक्षी बल इस निषेधाज्ञा की परिधि से बाहर रहेगे।